


समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतांरकित प्रश्न संख्या: 279
प्रश्नकर्ता: श्री एस. के. बग्गा
दिनांक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों की पेंशन कब तक मिलने की संभावना है;	बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को जुलाई माह तक की पेंशन PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है ।
(ख)	विधवा औरत की बेटी की शादी के लिए सरकार ने कितनी रकम तय की है;	सरकार द्वारा विधवा औरत की बेटी की शादी के लिए रुपये 30000/- की सहायता राशि दी जाती है ।
ग)	समाज कल्याण विभाग द्वारा बिना बुलाए व बिना कारण बताए पेंशन के फार्मस क्यों रद्द किए जाते हैं; और	विभाग द्वारा बिना कारण बताए पेंशन के कोई फार्मस रद्द नहीं किए जाते हैं। नियमानुसार आवेदन में किसी भी की कमी पाये जाने पर आवेदनकर्ता को SMS के द्वारा सूचना दी जाती है ।
(घ)	समाज कल्याण विभाग में विन्डो पर बैठे कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ बदसलूकी किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?	विभाग द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं। जिससे वे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदशील रहे। किसी भी प्रकार की शिकायत का तुरन्त जिला स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर निवारण किया जाता है।


Sr. Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002